



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122022-240861  
CG-DL-E-07122022-240861

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5459]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2022/अग्रहायण 16, 1944

No. 5459]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2022/AGRAHAYANA 16, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5691(अ).—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में निचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लेखित व्यक्ति को उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित क्षेत्र की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है अर्थात :-

अनुसूची

क्र. सं.	पाइपलाइन का नाम	प्राधिकारी का पद एवं पता	क्षेत्राधिकार
	(1)	(2)	(3)
1	आयल एवं नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड ऑनशोर आयल & गैस और पानी पाइपलाइन ड्रिलिंग वेल कनेक्टिविटी, न्यू इंस्टालेशन एक्सपेंशन & रेवंपिंग ऑफ़ एक्सिजिटिंग इन वेस्टर्न रीजन ऑफ़ गुजरात (गुजरात राज्य)	श्री महेश एच. जोशी, नायब कलेक्टर (निवृत्त) मेर्सस आयल एवं नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड कार्यालय अस्सेट प्रबंधक, अहमदाबाद अस्सेट, तीसरी मंजिल, अवनी भवन, चांदखेडा – अहमदाबाद -380005 (गुजरात)	गुजरात राज्य

## 2. ये अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी

[फा. सं. इएक्सपीएल-11032(11)/55/2020-इएक्सपीएल-1-पीएनजी (इ-35872)]

आर. के. कुरील, निदेशक

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2022

**S.O. 5691(E).**—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals (Acquisition of Right of user in Land) act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby Authorized the person mentioned in column (2) of the schedule given below of perform the function of the Competent Authority under the said Act, in respect of the areas mentioned in column (3) of the said Schedule namely:-

## SCHEDULE

Sl. No.	Name of Pipeline	Designation and Address of the Authority	Area of Jurisdiction
	(1)	(2)	(3)
1	<b>OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LTD.</b>  Onshore Oil & Gas and Water Pipeline for Drilling Well Connectivity, New Installation, Expansion & Revamping of existing installation in Western Region of Gujarat (Gujarat State)	<b>Shri Mahesh H. Joshi,</b> <b>Additional Collector (Retired)</b> M/s. Oil & Natural Gas Corporation Ltd. Office of the Asset Manager, Ahmedabad Asset 3 <sup>rd</sup> Floor, Avani Bhavan, Chandkheda, Ahmedabad – 380 005 (Gujarat)	Gujarat State

2. This Notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. Expl-11032(11)/55/2020-EXPL-I-PNG (E- 35872)]

R. K. KUREEL, Director